नियम 61 : मुख्य फाइल की विषय–वस्तु

मुख्य फाइल को निम्नलिखित क्रम में रखा आएगा और इसे नियमों के अतर्गत नष्ट करने का आदेश दिए जाने तक स्थायी अभिलेख के रूप में रखा जाएगा,–

(क) अनुक्रमणिका;

(ख) आदेश पत्र;

(ग) अंतिम आदेश या निर्णय;

(घ) यथास्थिति, अपील या याचिका का प्रारूप उसके साथ संलग्न किसी अनुसूची सहित;

(ङ.) प्रतिवाद या उत्तर या आपत्ति, यदि कोई हों;

(च) मौखिक साक्ष्य या शपथ–पत्र का प्रमाण;

(छ) कमीशन पर लिया गया साक्ष्य;

(ज) दस्तावेजी साक्ष्य; और

(झ) लिखित बहस।